

न्यायालय — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला—बैतूल (म.प्र.)

—: विविध आदेश :-


क्रमांक क्यू/सी.जे.एम./20

बैतूल, दिनांक 04-07-2020

जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों के लिये **माह जुलाई—2020** के अवकाश के दिन की अवधि रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड पर आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में निम्नानुसार रिमाण्ड व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है तथा रिमाण्ड ड्यूटी चार्ट के अनुसार ही न्यायिक अधिकारी समय शाम 03:00—05:00 बजे तक रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे :-

क्र.	दिनांक	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम			
		मुख्यालय बैतूल	तहसील न्यायालय		
			आमला	भैसदेही	मुलताई
(1)	(2)	(3)	3 (4)	(5)	(6)
माह जुलाई—2020					
1	05.07.20	श्री दीनानाथ वाड़िवा J.M.F.C., बैतूल	श्री नानसिंह ताहेड़, J.M.F.C., आमला द्वारा उक्त समस्त दिवसों पर	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C मुलताई
2	12.07.20	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., बैतूल		श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई
3	18.07.20	श्रीमती प्रियंका कुशवाह J.M.F.C., बैतूल		श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C मुलताई
4	19.07.20	श्री अजय उईके J.M.F.C., बैतूल		श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C मुलताई
5	26.07.20	सुश्री श्वेता खरे, J.M.F.C., बैतूल		श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई

नोट:- संबंधित मजिस्ट्रेट के ट्रेनिंग पर होने पर अर्थात अन्य आकस्मिक स्थिति निर्मित होने की दशा में वर्तमान कार्य विभाजन वर्ष 2020 के परिशिष्ट **अ** के अनुसार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाएगी।


अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)

नोट :-

- उक्त **माह जुलाई—2020** में अन्य किसी कार्यदिवस पर अवकाश घोषित किये जाने पर जिला मुख्यालय बैतूल पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील न्यायालय आमला, भैसदेही एवं मुलताई पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के आवश्यक कार्य देखेंगे।
- तहसील न्यायालय आमला में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में तहसील मुलताई में तथा तहसील मुलताई/भैसदेही में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में जिला मुख्यालय बैतूल में रिमाण्ड ड्यूटी के मजिस्ट्रेट ड्यूटी को संपादित करेंगे।

03. यदि मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश रिमांड ड्यूटी हेतु असमर्थ रहते हैं, तो न्यायाधीशगण आपस में सहमति प्राप्त कर रिमाण्ड ड्यूटी समायोजित बाबत लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को प्रेषित करेंगे, तदुपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति पश्चात रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे।
04. संबंधित मजिस्ट्रेट के ट्रेनिंग पर होने पर अर्थात् अन्य आकस्मिक स्थिति निर्मित होने की दशा में **वर्तमान कार्य विभाजन वर्ष 2020** के परिशिष्ट-अ के अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जाएगी।

अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)
बैतूल, दिनांक 04/07/20

पृष्ठा क्रमांक क्यू/सी.जे.एम./20

प्रतिलिपि :-

- (1) श्री दीनानाथ वाड्डिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (2) श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (3) सुश्री श्वेता खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (4) श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (5) श्री अजय उडके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (6) श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई
- (7) श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई
- (8) श्री नानसिंह ताहेड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
- (9) श्रीमति मंजूषा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही
- (10) श्री विनोद कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही
- (11) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (12) कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (13) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैसदेही/आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (12) पुलिस अधीक्षक बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (13) प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग बैतूल की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश को मुख्यालय एवं तहसील में सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जावे।

अनीता खजूरिया
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)